गैर-अनुमोदित नई दवाओं पर CDSCO चेतावनी

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अस्वीकृत दवाओं के निर्माण एवं बिक्री, विशेष रूप से "नई दवाओं" के उपयोग, के संबंध में एक चेतावनी जारी की है।

- विशेष रूप से **मेरोपेनेम,** एक जीवाणुरोधी एजेंट तथा **डिसोडियम EDTA** जैसी दवाएँ जो कैल्शियम की अधिकता का उपचार करने के लिये उपयोग की जाती हैं, को ऐसी अस्वीकृत दवाओं के उदाहरण के रूप में उजागर किया गया था।
- CDSCO ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की मंज़ूरी के बिना बिक्री के लिये किसी भी नई दवा का निर्माण नहीं किया जाना चाहिये।
- CDSCO औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
  - CDSCO के प्रमुख कार्यों में दवाओं के आयात पर नियामक नियंत्रण, नई दवाओं एवं नैदानिक परीक्षणों की मंज़ूरी के साथ-साथ केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कुछ लाइसेंसों की मंज़ूरी भी शामिल है।

और पढ़ें... भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नियामक मुद्दे

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cdsco-caution-on-unapproved-new-drugs